प्रेस विज्ञप्ति

22/01/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसके तहत गुजरात के गोधरा जिले में लगभग **11.3 करोड़ रुपये** मूल्य की कुल 14 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

ईडी ने सूरत वन प्रभाग, मांडवी दक्षिण रेंज के रेंज वन अधिकारी द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन में खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में दर्ज प्रथम अपराध रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की।

इस आपराधिक मामले में मुख्य आरोप यह है कि मुस्ताक आदम तसिया, मोह. ताहिर अहमद हुसैन और अन्य व्यक्तियों ने गुजरात के विभिन्न जिलों जैसे व्यारा, तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी और नर्मदा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्यों से वन अधिकारियों की अनुमति के बिना खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की और फिर उन्हें राज्य की सीमाओं के पार ले जाकर बेचा, जिससे बहुमूल्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट और क्षतिग्रस्त किया गया और अपराध से प्राप्त आय अर्जित की गई।

ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि मुस्ताक आदम तसिया और मोह. ताहिर अहमद हुसैन अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर वन अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना लगातार खैर के पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल थे। वे इसे अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेच रहे थे, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ और करोड़ों रुपये की आपराधिक आय अर्जित हुई। तदनुसार, ईडी ने उनकी **11.3 करोड़ रुपये** की संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क कर लिया है।